

समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ

स्थान—	नई टिहरी
दिनांक—	12.11.2022
पीठ संख्या—	04
फौजदारी वाद संख्या—	1247 / 2022
परिवादी / वादी—	ए0आर0टी0ओ0
अभियुक्त—	राजकुमार
वाद की प्रकृति—	192, 196, 190 एम0वी0 एक्ट

उपस्थित

अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ	विनोद कुमार बर्मन,
सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ	श्री राजेन्द्र सिंह डोटियाल, एडवोकेट

पंचाट

उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल के द्वारा इस आशय की आख्या न्यायालय प्रस्तुत की गयी है कि उक्त मामले का धारा-200 एम0वी0एक्ट 1988 के तहत शमन कर दिया गया है और अभियुक्त के द्वारा शमन के बाबत सम्बन्धित अर्थदण्ड धनराशि अदा कर दी गयी है। सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी के द्वारा न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान फौजदारी वाद/चालान को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

2. ऐसी स्थिति में जबकि सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल के द्वारा वर्तमान चालान अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 का मोटरयान अधिनियम की धारा-200 के प्रावधान अनुसार शमन कर दिया गया है और इस न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान फौजदारी वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है, वर्तमान फौजदारी वाद धारा-200 मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अध्यक्ष,

श्री राजेन्द्र सिंह डोटियाल एडवोकेट

(विनोद कुमार बर्मन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टिहरी गढ़वाल।